प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2017**

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0203-कृषि विकास योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या-433/12-3-2017-100(40)/2017, दिनांक 27.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि विकास योजनायें के अन्तर्गत निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं:-

धनराशि रु0 लाख में

क्रसं	परियोजना का नाम	विभाग का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनाँक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7
1	Preparation of C-DAP, SAP & SAIDP of RKVY	कृषि	21.11.2016	460.31	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-कृषि विकास योजनायें-42-अन्य व्यय	460.31
2	Strengthening /operationalization of Fertilizer, Pesticide and bio control labs		21.11.2016	3.00	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-कृषि विकास योजनायें-42-अन्य व्यय	3.00
3	Seed production programme at Govt. Agricultural Farms		09.06.2016	1869.23	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-कृषि विकास योजनायें- 02-मजदूरी 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति योग	 2.44 261.00 **263.44**
4	Incentive for registration of farmers to facilitate DBT		30.10.2015	100.00	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-कृषि विकास योजनायें-42-अन्य व्यय	**72.06**
5	Nitrogen management in Wheat by using Leaf Colour Chart		21.11.2016	408.49	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-कृषि विकास योजनायें- 42-अन्य व्यय 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय योग	 7.50 205.15 27.35 240.00
योग				**2841.03**	महायोग	**1038.81**

(रू0 दस करोड़ अड़तीस लाख इक्तालिस हजार मात्र)

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 27.04.2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1038.81 लाख के स्थान पर शासनादेश दिनांक 27.04.2017 के प्रथम प्रस्तर में टंकण त्रुटिवश रू0 1038.41 हजार एवं रू0 दस करोड़ अड़तीस लाख इक्तालिस हजार मात्र अंकित हो गया है। परियोजनाओं की पृथक-पृथक धनराशियों में कोई त्रुटि नहीं हैं। अत: शासनादेश दिनांक 27.04.2017 द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि रू0 1038.81 लाख एवं रू0 दस करोड़ अड़तीस लाख इक्यासी हजार मात्र पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-433/12-3-17-100(40)/2017, दिनांक 27.04.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- शासनादेश दिनांक 27.04.2017 के शेष प्राविधान/शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-18/2017/433(3)/12-3-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है